

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (ज़िला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB AMBALA **Year (वर्ष):** 2016
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0010 **Date (दिनांक):** 17/11/2016

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120B
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
4	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	8

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

- 1 **Day (दिन):** Sunday **Date from (दिनांक से):** 12/06/2016 **Date To (दिनांक तक):** 12/06/2016
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 13:00 hrs **Time To (समय तक):** 17:05 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 17/11/2016 **Time (समय):** 16:05 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Time (समय):** 16:05 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** NORTH, 1 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) **Address (पता):** Gate Anaj Mandi, Ambala City, Ambala

(c) **In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S.:**

(यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (ज़िला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** Raj Singh Deputy Superintendent Police

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):**

(d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

Office Name (कार्यालय का नाम): SVB AMBALA STATE VIGILANCE BUREAU

Login IP (लॉग इन आईपी): 10.88.8.121

Official Name (आधिकारिक नाम): SH. RAMDUTT

17/11/2016 16:45:53

User Name (यूजर नेम): 50575

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Occupation (व्यवसाय):

(h) Address

(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	State Vigilance Brueau Ambala, State Vigilance Brueau AmbalaSTATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	State Vigilance Brueau Ambala, AMBALA, HARYANA, INDIA

(i) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)
1	गिरिश नागपाल उप कृषि निदेशक		
2	श्री सतीश कुमार चालक कृषि विभाग		
3	श्री मनदीप सिंह कम्प्युटर आपरेटर कृषि विभाग		
4	संदीप कुमार सोनू		

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Sub Type (उप प्रकार)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property stolen (In Rs/-) (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

श्री मान जी, नकल लेख निम्नलिखित है सेवा में प्रबंधक थाना राज्य चौकसी ब्यूरो, अम्बाला मण्डल, अम्बाला श्रीमान जी, निवेदन है कि जांच क्रमांक 09 दिनांक 15.10.2015 अम्बाला गिरिश नागपाल उप निदेशक कृषि विभाग अम्बाला व अन्य के विरुद्ध मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादी क्रमांक 66/100/15-3 चौकसी-II दिनांक 05.10.2015 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर होकर महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के पृष्ठ क्रमांक 15143/1-3/ राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा दिनांक 16.10.2015 द्वारा श्री अरूण जैन मैसर्स डाक्टर लिन्फिल्ड लैबोरेटरीज मकान नं 0 3178 सैक्टर-37 डी. चण्डीगढ़ की गई शिकायत के आधार पर आरोप की पड़ताल हेतु राज्य चौकसी ब्यूरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला में प्राप्त हुई थी। शिकायत के आरोप की पड़ताल के दौरान पाया गया कि , ‘ On 12.06.2015 Mr. Nagpal along with official his driver and one more person in his official vehicle reached my factory in my absence at about 1:00 PM at that moment the labour was present who informed me and my Deputy Manager Sh. Pawan Sharma as well as Sh. Bhuvneshwar, Manager and Sh. P.K Bajaj, Chief Manager reached there. Mr. Nagpal started threatening to close our business and later on the agreed to spare us and asked to pay Rs. 50,000/- immediately alleging that the same is required for deposit more amount with the Govt. for the grant of license and demanded Rs. 1.25 lacs as bribe. I also reached at the spot and finally I agreed to pay a some of Rs. 50,000/- and avoided the payment of Rs. 1.25 lacs with an excuse to pay the same at later state. Mr. Nagpal directed his Driver to take the money along with Mr. Bajaj to some other place which was not disclosed at the moment. As per telephonic instructions of Mr. Nagpal to his driver, the official vehicle was stopped at the main gate of New Anaj Mandi, Ambala City. Mr. Sonu alias Sandeep, was already waiting to receive the payment at the instance of Mr. Nagpal and the driver confirmed about the receipt of the payment, when Mr. Bajaj handed over the cash of Rs. 50,000/- to Mr. Sonu. The episode starting from the factory to the main gate on New Anaj Mandi occurred 6:30 PM to 7:15 PM. This fact can be verified from the tower locations /details of the mobile phones of Mr . Nagpal, his driver Satish, Mr. Sonu and of Mr . Bajaj” लाईसैंस बनवाने के लिए मुबलिक 1000 रु० की फीस दिनांक 13.05.2015 को कृषि उप निदेशक, अम्बाला के खाता संख्या 1594 में जमा करवाने बारे पुष्टि प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ पटियाला सैक्टर 38 सी०, चण्डीगढ़ द्वारा भी की गई है। दिनांक 13.05.2015 के डायरी रजिस्टर की क्रम संख्या 1511 पर कटिंग की जानी पाई गई है तथा मुख्य प्रबन्धक प्रवीन कुमार बजाज लिन्फिल्ड लैबोरेटरीज में अपने कथन में बतलाया कि उसके द्वारा इस लाईसैंस की फाईल उप निदेशक कृषि विभाग अम्बाला श्री गिरिश नागपाल को दी गई थी। 50,000 रुपये की रिश्त के बारे श्रीमति पुनम जैन पत्नी श्री अरूण कुमार जैन ने अपने कथन में दिनांक 12.06.2015 को दोपहर में उनकी फैक्ट्री के मुख्य प्रबन्धक श्री प्रवीन कुमार बजाज ने श्री अरूण कुमार जैन को फोन करके श्री गिरिश नागपाल द्वारा पैसे मांगने बारे सूचित करने पर उसके पति श्री अरूण कुमार जैन ने 25,000 रु० तरूणदीप लेखाकार को भेज कर बैंक से आई०सी०आई०सी०आई० बैंक से निकलवाने व खुद एक लाख रु० अरूण जैन द्वारा आई०सी०आई०सी०आई० बैंक, चण्डीगढ़ से निकलवाकर 50,000 रु० बतौर रिश्त मुख्य प्रबन्धक प्रवीन कुमार बजाज लिन्फिल्ड लैबोरेटरीज की मार्फत देने बारे पुष्टि की है। पड़ताल के दौरान पाया गया है कि श्री गिरिश नागपाल, उप कृषि निदेशक अम्बाला के कहने पर सतीश कुमार चालक कृषि विभाग, अम्बाला द्वारा प्रवीण कुमार बजाज मुख्य प्रबंधक लिन्फिल्ड लैबोरेटरीज की रिश्त की राशि मुबलिक 50,000/- रुपये सहित सरकारी गाड़ी में हमरा लेकर अनाज मण्डी अम्बाला शहर में पहुंच कर रिश्त की राशि मु० 50,000/- रु० सन्दीप उर्फ सोनू को देना व शिकायत की पड़ताल के दौरान सतीश कुमार, चालक द्वारा अपने कथन में कहीं पर भी अपना फोन दिनांक 12.06.2015 को मन्दीप सिंह कम्प्यूटर आपरेटर कार्यालय कृषि विभाग अम्बाला को देने बारे जिक्र न करना परन्तु जांच की पड़ताल के दौरान अपने कथन में दिनांक 12.06.2015 को अपना मोबाईल मन्दीप सिंह स्टेनो/कम्प्यूटर आपरेटर को देना बतलाना तथा मन्दीप सिंह कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा अपने कथन में सतीश कुमार चालक का फोन दिनांक 12.06.2015 को अपने पास होना बतला कर जानबूझ कर गुमराह करना व सन्दीप उर्फ सोनू द्वारा अपने कथन में अपना नाम सोनू होने से इन्कार करना व प्रश्नोत्तरी में अपना घरेलू नाम सोनू बतलाना तथा शिकायतकर्ता अनिल जैन द्वारा बकाया रिश्त की राशि 1,25,000 रु० श्री गिरिश नागपाल को ना देने पर उसकी फैक्ट्री मैसर्स डा. लिन्फिल्ड लैबोरेटरीज सुल्तानपुर को दिनांक 14.06.2015 को सील करके अगले दिन दिनांक 15.06.2015 को मुकदमा नं. 181 थाना बलदेव नगर में दर्ज कराना जो यह सिद्ध करता है कि श्री गिरिश नागपाल उप कृषि निदेशक अम्बाला , चालक सतीश कुमार कृषि विभाग

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

अम्बाला, मन्दीप सिंह कम्प्यूटर आपरेटर कार्यालय कृषि विभाग अम्बाला व सन्दीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र श्री जगदी श चन्द्र वासी म.न. 1277 सैक्टर 9 अम्बाला शहर मालिक मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडिंग कम्पनी, अनाज मण्डी, शहर अम्बाला को श्री अनिल जैन शिकायतकर्ता से रिश्त मु 0 50,000 रू० लेने बारे तथ्य होने के आधार पर संलिप्ता पाये जाने पर जेर धारा 7, 8 व 13 (1) डी. पी. सी. एक्ट 1988 व 120-बी० भा०००स० के तहत मुकदमा दर्ज किये जाने का सुझाव दिया गया था। जिसकी रिपोर्ट महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो पंचकुला के पत्र क्रमांक 10071/ए/349/सी.रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 29.07.2016 द्वारा सरकार को भेजी गई थी। जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के पृष्ठ क्रमांक 66/100/15-3 चौकसी-II दिनांक 14.10.2016 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो पंचकुला के क्रमांक न . 14056/आई-3/एस.वी.बी.(ह) पंचकुला दिनांक 25.10.2016 अनुसार श्री गिरीश नागपाल उप कृषि निदेशक अम्बाला श्री सतीश कुमार चालक, श्री मनदीप सिंह कम्प्यूटर आपरेटर कृषि विभाग अम्बाला व संदीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र श्री जगदीश चन्द वासी मकान नं 0 1277 सैक्टर 9, अम्बाला के विरूद्ध धारा 7, 8 व 13(1) डी० पी०सी० एक्ट 1988, व 120 बी० भा०००स० के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त हुये हैं जो पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला मण्डल, अम्बाला के आदेशानुसार तहरीर तैयार की गई। इसलिए अनुरोध है कि उपरोक्त आरोपियों गिरिश नागपाल उप कृषि निदेशक अम्बाला, श्री सतीश कुमार चालक, श्री मनदीप सिंह कम्प्यूटर आपरेटर कृषि विभाग अम्बाला व संदीप कुमार उर्फ सोनू पुत्र श्री जगदीश चन्द वासी मकान नं० 1277 सैक्टर 9, अम्बाला के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट अम्बाला व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियों को भेजी जावें। मिशाल पुलिस व सम्बन्धित रिकार्ड तफतीशी अधिकारी को भेजा जावें। हस्ताक्षर अग्रेजी - राज सिंह उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला मण्डल अम्बाला 02.11.2016। उक्त तहरीर तैयार करके अनुमोदन करवाने के लिये पत्र क्रमांक 3140/रा.चौ.ब्यु. (अ) दिनांक 02.11.2016 द्वारा महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला को भेजी गई थी जो महानिदेशक राज्य चौकसी ब्युरो हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 15048/आई-3/रा.चौ.ब्यु. (ह) दिनांक 16.11.2016 व कार्यालय पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला के डायरी क्रमांक 1891 दिनांक 17.11.2016 के अनुसार मुकदमा दर्ज के लिये आदेश के साथ तहरीर प्राप्त हुई है। अज थाना: - हस्ब आमदा उपरोक्त तहरीर प्राप्त होने पर बाहवाला रपट न. 11 समय 04.05 PM पर उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध मुकदमा न. 10 दिनांक 17.11.2016 धारा 7, 8, 13 (1) डी. पी.सी.एक्ट 1988 व धारा 120-बी. भा.द.स. के तहत दर्ज रजिस्टर्ड करके प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति बतौर स्पेशल रिपोर्ट बदस्त मु.सि. बीरबल सिंह न. 1080/करनाल रा.चौ.ब्यु. अम्बाला के इलाका मैजिस्ट्रेट अम्बाला व प्रथम सूचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्चाधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही हैं। नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर तफतीशी अधिकारी श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला के हवाले की गई। इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** O P ARORA **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): DSP to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** or (के कारण इकार किया या)

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्रथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):

Rank (पद):

No. (सं.):

**14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर
/अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Blood Group Black Marks: Burn Marks: Leucoderma (White Patches): Place of Mole: Scar Marks: Tattoo Marks:
2	Male					Blood Group Black Marks: Burn Marks: Leucoderma (White Patches): Place of Mole: Scar Marks: Tattoo Marks:
3	Male					Blood Group Black Marks: Burn Marks: Leucoderma (White Patches): Place of Mole: Scar Marks: Tattoo Marks:
4	Male					Blood Group Black Marks: Burn Marks: Leucoderma (White Patches): Place of Mole: Scar Marks: Tattoo Marks:

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Office Name (कार्यालय का नाम):SVB AMBALA STATE VIGILANCE BUREAU

Login IP (लॉग इन आईपी):10.88.8.121

Official Name (आधिकारिक नाम):SH. RAMDUTT

17/11/2016 16:45:53

User Name (यूजर नेम):50575

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Arms: Bow Leg: Deaf/Dumb: Ear Lobes: Ears Deformed: Ears Missing: Finger Extra: Finger Missing: Goitre: Hunch/Stooping Back: Knock Knee: Legs: Limping: Toe Extra: Toe Missing:		Hair Color: Hair Cut: Hair Dye: Hair Length: Hair Style: Hair Type: Hair Straightness: Using Wig:	Blind: Blinking: Eye Brow Shape: Eye Brow Thickness: Eyes Color: Type of Eye: Specs Type: Squint: Using Specs:		Footwear: Inner Bottom: Inner Top: Outer Bottom: Outer Top: Seasonal/Accessories Bottom: Seasonal/Accessories Top:
Arms: Bow Leg: Deaf/Dumb: Ear Lobes: Ears Deformed: Ears Missing: Finger Extra: Finger Missing: Goitre: Hunch/Stooping Back: Knock Knee: Legs: Limping: Toe Extra: Toe Missing:		Hair Color: Hair Cut: Hair Dye: Hair Length: Hair Style: Hair Type: Hair Straightness: Using Wig:	Blind: Blinking: Eye Brow Shape: Eye Brow Thickness: Eyes Color: Type of Eye: Specs Type: Squint: Using Specs:		Footwear: Inner Bottom: Inner Top: Outer Bottom: Outer Top: Seasonal/Accessories Bottom: Seasonal/Accessories Top:
Arms: Bow Leg: Deaf/Dumb: Ear Lobes: Ears Deformed: Ears Missing: Finger Extra: Finger Missing: Goitre: Hunch/Stooping Back: Knock Knee: Legs: Limping: Toe Extra:		Hair Color: Hair Cut: Hair Dye: Hair Length: Hair Style: Hair Type: Hair Straightness: Using Wig:	Blind: Blinking: Eye Brow Shape: Eye Brow Thickness: Eyes Color: Type of Eye: Specs Type: Squint: Using Specs:		Footwear: Inner Bottom: Inner Top: Outer Bottom: Outer Top: Seasonal/Accessories Bottom: Seasonal/Accessories Top:

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

Toe Missing:					
Arms:		Hair Color:	Blind:		Footwear:
Bow Leg:		Hair Cut:	Blinking:		Inner Bottom:
Deaf/Dumb:		Hair Dye:	Eye Brow Shape:		Inner Top:
Ear Lobes:		Hair Length:	Eye Brow Thickness:		Outer Bottom:
Ears Deformed:		Hair Style:	Eyes Color:		Outer Top:
Ears Missing:		Hair Type:	Type of Eye:		Seasonal/Accessories
Finger Extra:		Hair Straightness:	Specs Type:		Bottom:
Finger Missing:		Using Wig:	Squint:		Seasonal/Accessories
Goitre:			Using Specs:		Top:
Hunch/Stooping Back:					
Knock Knee:					
Legs:					
Limping:					
Toe Extra:					
Toe Missing:					

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)